न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05/2019
प्रविष्टि दिनांक 01.03.2019

मोतीलाल पुत्र लावाराम जाति कीर निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दूनी दिनांक 25.10.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 17.01.2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 25.10.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0रास्ता व खसरा नम्बर 3029 रकबा 0.03 है0 किस्म बजंड वाके ग्राम दूनी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल करने एंव काश्त की गई फसल जप्त सरकार कर निलाम करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर नही दिया और पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश की है। विवादित आराजी के पास ही अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

Scanned by CamScanner

2821 स्थित है,अपीलांट की भूमि पर पुश्तेनी पक्की दीवार बनी हुई है। दीवार के सटवा ही श्री बाबा रामदेव एंव हनुमान जी का चबूतरा पुख्ता बना हुआ है तथा गत 20 वर्षो से भी अधिक समय से कटर मशीन लगी हुई है।दीवार के सहारे ही पीपल,खेजडी,नीम,ईमली,देशी बबूल,गुलमोहर के बडे बडे पेड लगे हुए है। दीवार के सहारे–सहारे ग्राम पंचायत दूनी द्वारा पक्क नाला बना हुआ है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही है। पटवारी हल्का द्वारा सम्वंत 2072 वर्ष 2015–16 मे बनायी गई खसरा परिवर्तनशील तथा गैर मुस्तकिल काश्त रिपोर्ट मे अपीलांट का मात्र 0.03 है0 पर अतिक्रमण बताया था तथा उसी रिपोर्ट मे अन्य और 13 व्यक्तियो के भी अतिक्रमण बताये गये थे,लेकिन राजनैतिक द्वेषता से केवल अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे निर्मित दीवार के सटवा पुख्ता नाला बना है और उसके पश्चात 18 फीट चोडा रोड बना हुआ है,जिसमे आवागमन जारी है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि के सबंध मे एक वाद न्यायालय ग्राम न्यायालय देवली मे मोतीलाल बनाम राजस्थान राज्य आदि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है। उक्त वाद मे स्वंय तहसीलदार भी पक्षकार है और उक्त वाद के नोटिस प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम दूनी का सीमाज्ञान नही करवाया और बिना सीमाज्ञान करवाये ही अपीलांट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया गया,जबकि उक्त भूमि पर अन्य 13 व्यक्तियो के द्वारा मोके पर कब्जा कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विंधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै0मु0 रास्ते की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता व खसरा नम्बर 3029 रकबा 0.03 है0 किस्म बजंड भूमि वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर खेत की सीमा बढाकर दीवार व कब्जा डोल(प्लाट का कब्जा) कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 कि रिपोर्ट मे पटवारी ने अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट गै.मु.रास्ते की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलार्थी ने बहस मे बताया है कि अपीलार्थी के साथ–साथ अन्य लोगो का भी उक्त गै0मु0 (ख.नं. 2601) रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण है,यदि सभी का अतिक्रमण हटाया जाता है

अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय टोंक

Scanned by CamScanner

तो अपीलार्थी को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2018 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दूनी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के कथनानुसार गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 2601 की भूमि पर अन्य लोगो का भी अतिक्रमण हो तो जांच कर विधिवत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.19 15:19:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: